भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2912

10.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

एनआरआई पति

2912. श्री बालभाऊ उर्फ सुरेशनारायण धानोरकर:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन भारतीय महिलाओं, जो उनके एनआरआई पतियों से परित्याग या तलाक या अन्य समस्याओं का सामना कर रही हैं, की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान महिलाओं द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों की संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) से (ग) अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त अथवा उत्पीड़ित भारतीय महिलाओं से मंत्रालय को याचिकाएं प्राप्त होती रही हैं। जनवरी 2016 और 31 मई 2019 के बीच मंत्रालय (विदेशों में भारतीय मिशनों सहित) को अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त मुसीबतजदा भारतीय महिलाओं से 4698 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनका समाधान किया गया है। समाधान की गई शिकायतों का वर्ष-वार विवरण निम्नवत है:-

वर्ष	**समाधान की गई शिकायतों की संख्या**
2016	1510
2017	1498
2018	1299
2019 (31 मई तक)	391
कुल	**4,698**

अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त पत्नियों को राहत देने के लिए सरकार ने बहुमुखी दृष्टिकोण अपनाया है। विदेश मंत्रालय प्रवासी भारतीय पतियों के मामले में कानूनी कार्यप्रक्रिया, न्यायिक

समन तामील करने के लिए तंत्रों; भारत में न्यायिक मामला दायर करने, लुकआउट सर्कुलर जारी करने; ऐसी व्यथित महिलाओं के पति का भारतीय पासपोर्ट जब्त करने और रद्द करने आदि के बारे में परामर्श, मार्गदर्शन और सूचना मुहैया कराता है।

इसके अतिरिक्त, विदेश में मुसीबत में (वैवाहिक विवाद सहित) फंसे भारतीय नागरिकों को शीघ्रातिशीघ्र ऑनलाइन कौंसुली सहायता मुहैया कराने के उद्देश्य से 2015 में मदद पोर्टल नामक एक ऑनलाइन कौंसुली शिकायत मॉनीटरिंग प्रणाली आरंभ की गई थी और अनिवासी भारतीयों के साथ विवाहित मुसीबतजदा भारतीय नागरिकों को डिजिटल प्लेटफार्म मुहैया कराने के लिए पोर्टल में '' वैवाहिक विवाद '' नामक एक मॉड्यूल जोड़ा गया था।

इसके अतिरिक्त, सभी मिशनों और केंद्रों द्वारा अनिवासी भारतीय पतियों के साथ विवाहित मुसीबतजदा महिलाओं को वित्तीय एवं कानूनी सहायता मुहैया कराने के उद्देश्य से सितंबर, 2017 में भारतीय समुदाय कल्याण निधि के दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया था। मुसीबत में फंसी भारतीय महिलाओं को कानूनी और वित्तीय सहायता की राशि को भी बढ़ाकर प्रत्येक मामले में 4 हजार अमरीकी डॉलर कर दिया गया है। यह सहायता आवेदक के पैनल वाले कानूनी सलाहकार को अथवा भारतीय समुदाय संघ/महिला संगठन/संबंधित गैर सरकारी संगठन को जारी की जाती है ताकि वे मामला दायर करने के लिए दस्तावेज तैयार करने तथा अन्य तैयारी करने के काम में महिला को सहयोग देने के लिए कदम उठा सकें।

इसके अलावा, प्रवासी भारतीय नागरिकों के साथ विवाहित भारतीय नागरिकों की कानूनी तथा विनियामक चुनौतियों की पहचान करने और मौजूदा अधिनियमों/संविधियों में संशोधन करने अथवा नई नीतियों/विधियों/विनियमों के संबंध में सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। विशेषज्ञ समिति के सिफारिश पर एक एकीकृत नोडल एजेंसी गठित की गई थी।

सचिव, महिला एवं बाल विकास इस एकीकृत नोडल एजेंसी के प्रमुख है। एकीकृत नोडल एजेंसी के अन्य सदस्य हैं क) संयुक्त सचिव (न्यायिक) एवं संयुक्त सचिव (विदेशी नागरिक), गृह मंत्रालय, ख) संयुक्त सचिव (ओआईए-II), विदेश मंत्रालय और ग) संयुक्त सचिव (विधि), विधि एवं न्याय मंत्रालय। एकीकृत नोडल एजेंसी एक प्रभावी निकाय के रूप में कार्य कर रही है और प्रवासी भारतीय पतियों के साथ विवाहित भारतीय महिलाओं की समस्याओं के समयबद्ध समाधान के लिए एकल खिड़की सुविधा मुहैया करा रही है। अब तक एकीकृत नोडल एजेंसी की 15 बैठकें हो चुकी हैं और इसने दोषी पतियों के खिलाफ 8 लुकआउट सर्कुलर जारी किए हैं।

अनिवासी भारतीय पतियों के साथ विवाहित भारतीय नागरिकों की समस्याओं को हल करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों के बावजूद यह महसूस किया गया कि ये उपाय पर्याप्त नहीं हैं और समस्या का और अधिक प्रभावी समाधान मुहैया कराने के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए ''अनिवासी भारतीय विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019'' 11 फरवरी 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया था। प्रस्तावित कानून से अनिवासी भारतीयों के साथ विवाहित भारतीय

नागरिकों को और अधिक सुरक्षा मिलेगी और अनिवासी भारतीयों द्वारा अपनी पत्नियों के उत्पीड़न को रोकने हेतु निवारक के रूप में सहायता मिलेगी, और अभियुक्त अनिवासी भारतीय पति अपने उसके खुले और छुपे कृत्यों का कानूनी अंजाम भुगतने के लिए भारत आने के लिए बाध्य करेगा।

****